

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-1/2008/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल दिनांक 07.11, 2009

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कमिश्नर  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-1/2008/नियम/चार, दिनांक 24-1-2008 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1-4-2008, 4-8-2008 तथा 17-9-2009  
--00--

राज्य शासन के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने संबंधी संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश/स्पष्टीकरण समय-समय पर जारी किये गये हैं उसी अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

- 1- दिनांक 1-4-2006 के पूर्व जिन संवर्गों में सीधी भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है उन संवर्गों को समयमान वेतनमान का लाभ सीधी भर्ती मानते हुए नहीं दिया जावे ।
- 2- दिनांक 1-4-2006 के पश्चात् जिन संवर्गों में सीधी भर्ती का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है उन संवर्गों में सीधी भर्ती के मान से दिये जाने वाला समयमान वेतनमान केवल उन्ही अधिकारियों तक सीमित रखा जावे जो प्रावधान समाप्ति के दिनांक तक पात्र थे ।
- 3- दिनांक 1-4-2006 के पश्चात् जिन संवर्गों में सीधी भर्ती का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, उक्त तिथि के पश्चात् उक्त पद पर 8/10 वर्ष की सेवा व्यतीत करने के उपरांत ही समयमान वेतनमान का प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान (जैसी स्थिति हो) दिया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( मिलिन्द वाइकर )

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
- 3- निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
- 5- सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
- 6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 7- निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- 8- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 9- सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 10- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
- 11- महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
- 12- महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 13- अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 14- प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
- 15- आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
- 16-नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
- 17- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग( स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
- 18- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
- 19- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 20- सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
- 21- संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 22- अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
- 23- अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
- 24- सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 25- गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



( डी.के. सक्सैना )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग